

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर**

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-2/2017/

दिनांक:-

--आदेश--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	नीलम शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	04.04.58	30.04.2018
2.	राकेश स्वरूप शर्मा	नर्स प्रथम	राजसमन्द	20.05.58	31.05.2018
3.	नन्द किशोर शर्मा	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	01.06.58	31.05.2018
4.	मुख्यार अहमद	नर्स प्रथम	जयपुर	20.07.58	31.07.2018
5.	अब्दुल रहीम	नर्स प्रथम	भीलवाड़ा	25.07.58	31.07.2018
6.	डिक्सन सेमुअल	नर्स प्रथम	अजमेर	12.07.58	31.07.2018
7.	बनवारी लाल शर्मा	नर्स प्रथम	जयपुर	05.08.58	30.08.2018
8.	सत्यनारायण राव	नर्स प्रथम	जोधपुर	10.10.58	31.10.2018
9.	पन्नाराम पंवार	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	उदयपुर	13.02.58	28.02.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

— 51 —

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 30.11.2017

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि/पार्ट-2/2017/648

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, श्वसन रोग संस्थान, जयपुर/मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर/पन्नाधाय राजकीय चिकित्सालय, उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा/अजमेर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द।
6. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जयपुर।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
8. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर